



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 अग्रहायण 1942 (श०)
(सं० पटना 937) पटना, शुक्रवार, 11 दिसम्बर 2020

वाणिज्य-कर विभाग

vf/kI puk
11 दिसम्बर 2020

एस०ओ० 192, दिनांक 11 दिसम्बर 2020— बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2019 (बिहार अधिनियम 21, 2019) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, 10 नवंबर 2020 को उस तारीख के रूप में नियत करते हैं, जिस तारीख को उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[(सं०सं०— बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-2)—2282)]
बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त—सह—सचिव।

11 दिसम्बर 2020

एस०ओ० 192, दिनांक 11 दिसम्बर 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०— बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-2)—2282)]
बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त—सह—सचिव।

The 11th December 2020

S.O. 192, Dated 11th December 2020— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 1 of the Bihar Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2019 (Bihar Act 21, 2019), the Governor of Bihar hereby appoints the 10th day of November, 2020, as the date on which the provisions of section 7 of the said Act shall come into force.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-2)-2282)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,
Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 937-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>